सत्र समीक्षा

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का प्रथम एवं द्वितीय सत्र

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का प्रथम सत्र गुरुवार, दिनांक 1 जनवरी, 2009 को तथा द्वितीय सत्र बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2009 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् ....' के गायन से आरम्भ हुआ। प्रथम सत्र शनिवार, दिनांक 10 जनवरी, 2009 तथा द्वितीय सत्र गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2009 को राष्ट्रगान 'जन गण मण' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। दोनों सत्रों का सत्रावसान क्रमश: 29 जनवरी, 2009 तथा 2 मार्च, 2009 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
प्रथम सत्र	7	1.1.2009, 2.1.2009, 3.1.2009 (शनिवार), 6.1.2009, 7.1.2009, 9.1.2009 तथा 10.1.2009 (शनिवार)
द्वितीय सत्र	2	25.2.2009 तथा 26.2.2009

सभापति तालिका में सदस्यों की नियुक्ति

प्रथम सत्र में दिनांक 1 जनवरी, 2009 को अस्थायी अध्यक्ष ने सदन को प्रक्रिया नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत श्री सुन्दर लाल, श्री भगराज चौधरी तथा श्री फतेह सिंह के सभापति तालिका में मनोनयन की सूचना दी।

दिनांक 3 जनवरी, 2009 को माननीय अध्यक्ष श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने श्री बाबूलाल नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, डॉ.(श्रीमती) परम नवदीप तथा श्री राव राजेन्द्र सिंह के सभापति तालिका में मनोनयन की सूचना दी।

नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान

प्रथम सत्र के प्रथम दिन तेरहवीं विधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष श्री देवीसिंह भाटी ने 197 सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले सदस्यों में से 192 सदस्यों ने हिन्दी में, 2 सदस्यों ने संस्कृत में तथा एक-एक सदस्य ने अंग्रेजी एवं पंजाबी में शपथ ली। दिनांक 2 जनवरी, 2009 को शेष दोनों सदस्य श्री ओम बिरला तथा श्री गंगाजल मील ने हिन्दी में शपथ ग्रहण की।

अध्यक्ष का निर्वाचन

दिनांक 2 जनवरी, 2009 को मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन श्रीमती वसुन्धरा राजे ने किया। सदन द्वारा प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित करने के उपरान्त

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत सर्वसम्मति से विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए आठ सदस्यों ने विचार प्रकट किये। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष ने भी सदन को सम्बोधित किया।

विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा

प्रथम सत्र में दिनांक 2 जनवरी, 2009 को माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल द्वारा श्रीमती वसुन्धरा राजे के नेता चुनने की सूचना प्राप्त हुई है तथा भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। अत: पार्टी की नेता श्रीमती वसुन्धरा राजे को राजस्थान विधान सभा में प्रतिपक्ष दल का नेता मान लिया गया है।

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

महामहिम राज्यपाल श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2009 को सदन के समक्ष किये गये अभिभाषण की प्रति विधान सभा सचिव ने सदन की मेज पर रखी। दिनांक 6 जनवरी, 2009 को सदस्य डॉ. रघु शर्मा ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका समर्थन सदस्य श्री अलाउद्दीन आजाद द्वारा किया गया। दिनांक 10 जनवरी, 2009 को सदन में व्याप्त अव्यवस्था के कारण श्री राजेन्द्र पारीक ने ही अग्रेत्तर वाद-विवाद में भाग लिया। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत किया जिसे सदन द्वारा ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

व्यवस्था का प्रश्न

1. समीक्ष्य प्रथम सत्र में दिनांक 3 जनवरी, 2009 को सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी ने कार्य सलाहकार समिति के गठन के अभाव में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन के इतने दिनों तक चलने, यह कार्यवाही होगी, इसके बाद सदन स्थगित हो जायेगा, सत्रावसान नहीं करेंगे इत्यादि से सम्बन्धित समाचार प्रकाशित होने से गोपनीयता भंग तथा समिति की महत्ता कम होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया। इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 'अखबार में क्या छपा है और किसके नाम से क्या छप गया उसके लिए न तो सदन उत्तरदायी है न ही आपको उसको ओथेन्टिसिटी के साथ मानना चाहिए, कन्फर्म कर लेना चाहिए। यह सामान्य प्रक्रिया है जिसमें कार्य सलाहकार समिति का गठन अध्यक्ष के निर्वाचित होने के बाद होना है, यह भी बात हो सकती थी कि अध्यक्ष नहीं बना इसके पहले ही कार्य सलाहकार समिति ने अपना निर्णय कर लिया, कोई कह सकता है। कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दु थे, शोकाभिव्यक्ति होनी थी यह एक प्रक्रिया है। इसे विशेष मुद्दा ना मानकर मैंने कल देर तक बैठकर माननीय सरकारी मुख्य सचेतक जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सलाह कर कार्य सलाहकार समिति का गठन किया। चूंकि विश्वास के मत का महत्त्वपूर्ण मसला आना ही आना है। कार्य सलाहकार समिति में विचार-विमर्श के बाद ही आता। दूसरी चीज यह है कि कार्य सलाहकार समिति बनाने का अधिकार आपने आसन को दिया है और यह भी स्वीकृति इन्होंने आसन से ले ली थी। कार्य सलाहकार समिति बनने से पहले आसन से स्वीकृति लेने के बाद कार्यसूची तय की गई थी। आसन की यह मंशा

रही है कि सदन नियम प्रक्रिया के तहत चले, भविष्य में आप आश्वस्त रहे कि कार्य सलाहकार समिति के द्वारा सदन में लिये जाने वाले कार्य पर विचार-विमर्श के उपरान्त ही सदन में कार्य लिया जायेगा।'

2. दिनांक 7 जनवरी, 2009 को श्री घनश्याम तिवाड़ी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद हेतु नाम पुकारे जाने पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राज्यपाल महोदय को अपने अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अन्तर्गत विधान सभा को आहूत किये जाने के कारणों को बताया जाना चाहिए तथा अभिभाषण में विधान सभा के सत्र का आह्वान करने के कारण नहीं बताये, अत: यह अभिभाषण नहीं है। इस पर दो सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किये तथा प्रश्न की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी। दिनांक 10 जनवरी, 2009 को माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 'राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 6 जनवरी, 2009 को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने व उसका अनुमोदन किये जाने के पश्चात् धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद के लिए दिनांक 7 जनवरी, 2009 को श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर इनके द्वारा इस आशय का व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि राज्यपाल महोदय को अपने अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अन्तर्गत विधान सभा को आहूत किये जाने के कारणों को बताया जाना चाहिये।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 176(1) को उद्धृत किया - 176(1) राज्यपाल का विशेष अभिभाषण - राज्यपाल विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा या विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधान मण्डल को उसके आह्वान के कारण बतायेगा।

राज्यपाल महोदय द्वारा इस अभिभाषण में विधान सभा के सत्राह्वान करने के कारण नहीं बताए। अत: यह अभिभाषण नहीं है और उस अभिभाषण पर डॉ. रघु शर्मा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव तथा श्री अलाउद्दीन आजाद ने इसका अनुमोदन किया है, वह असंवैधानिक है।

वाद-विवाद के पश्चात् मैंने व्यवस्था के प्रश्न की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी। माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रतिपक्ष के उपनेता महोदय को यह व्यवस्था का प्रश्न महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 6 जनवरी, 2009 को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उठाया जाना चाहिये था। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद प्रारम्भ हो गया है, अत: इस स्टेज पर यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। फिर भी चूँकि प्रतिपक्ष के उपनेता महोदय ने जिस भावना से संवैधानिक प्रश्न उठाया है। उसकी गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस पर मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूँ - उपनेता महोदय ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अन्तर्गत विधान सभा के आह्वान किये जाने के कारणों को बताया जाना चाहिये, जब तक अभिभाषण में सत्र आह्वान के कारण नहीं बताए जाये तो अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव तथा उस पर वाद-विवाद असंवैधानिक होगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) में जो शब्द हैं ''विधान मण्डल को उसके आह्वान का कारण बतायेगा'' यद्यपि 'कारण' शब्द संविधान में अलग से परिभाषित नहीं है परन्तु पूर्व की व्यवस्थाओं एवं परम्पराओं से यहां कारणों से अभिप्राय है कि प्रदेश में गत वर्ष हुई सार्वजनिक महत्त्व की घटनायें तथा राज्य सरकार द्वारा भविष्य में जनहित में जो नीतियां बनाई गई हैं उनका उल्लेख हो ।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां दिया है उसमें पैरा 3 से 71 तक सरकार द्वारा आगामी पाँच वर्ष की प्राथमिकताओं और कार्य योजनाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त अभिभाषण के पैरा 71 से 74 में राज्य में हुई महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इसलिये माननीय सदस्य द्वारा जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है उसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ ।

इसके अतिरिक्त पूर्व के अभिभाषणों एवं व्यवस्थाओं को देखते हुए अभिभाषण में सरकार की भविष्य की प्राथमिकताओं, घटनाओं के अलावा सरकार द्वारा सम्पादित करवाये जाने वाले विधायी कार्यों का भी उल्लेख होना चाहिए। इस सम्बन्ध में पूर्व में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 1963 व दिनांक 22 फरवरी, 1964 को दी गई व्यवस्था में भी राज्य सरकार को ऐसे निर्देश दिये गये थे।

अतः मैं राज्य सरकार, जो कि अभिभाषण बनाने के लिए उत्तरदायी है, को यह निर्देश देना भी उचित समझता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार के अभिभाषण में उपरोक्त वर्णित समस्त बातों का समावेश किया जाये।'

3. समीक्ष्य द्वितीय सत्र में दिनांक 25 फरवरी, 2009 को श्री राजेन्द्र राठौड़ ने प्रक्रिया के नियम 28(4) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि कार्य सलाहकार समिति के बिना कोई कार्यसूची नहीं बन सकती है, अत: सदन की बैठक स्थगित कर कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाए तथा उसके बाद सदन चले । माननीय अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था देते हुए कहा कि 'माननीय सदस्य यह सदन हमेशा नियमों, प्रक्रियाओं और परम्पराओं से चलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमेशा ही पहले दिन जब विधान सभा की बैठक होती है तो सदन में औपचारिक कार्य लिए जाते रहे हैं इसके तत्काल बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक रखी जाती है, कार्य सलाहकार समिति की बैठक रखी गई है, उसमें विचार-विमर्श के बाद सदन में अग्रेत्तर लिए जाने वाले कार्य पर चर्चा हो जाएगी।

आपने परम्परा का हवाला दिया, मैं आपको निवेदन करूँ कि 26 सितम्बर, 2005 को विधान सभा की पहली बैठक में औपचारिक कार्य के साथ-साथ श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री ने राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित किया था, यह पुरानी परम्परा आपके सामने आ चुकी है। इसलिए मैं आपके पांइट ऑफ आर्डर को रिजेक्ट करता हूँ।'

मंत्री परिषद् में विश्वास के प्रस्ताव पर वाद-विवाद

समीक्ष्य प्रथम सत्र में दिनांक 3 जनवरी, 2009 को मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने सदन के समक्ष विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर 10 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया। भाग लेने वाले सदस्यों में से चार-चार सदस्य इण्डियन नेशनल कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के तथा एक-एक सदस्य बहुजन समाज पार्टी एवं भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के थे। वाद-विवाद के पश्चात् मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने सरकार की ओर से उत्तर दिया। मंत्री परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव सदन द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया।

प्रश्न काल

समीक्ष्य प्रथम सत्र में 60 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 605 तारांकित तथा/अथवा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। इनमें से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 279 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 268 स्वीकृत किये गये तथा 50 तारांकित प्रश्न, प्रश्न-सूची में सूचीबद्ध किये गये। श्रीमती अनिता सिंह, श्रीमती अनिता भदेल, श्री अमराराम, डॉ. जसवन्त सिंह यादव तथा डॉ. फूलचन्द ने अधिकतम 10-10 प्रश्न दिये। इसके अतिरिक्त 326 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए जिसमें से स्वीकृत 321 प्रश्नों में से 51 प्रश्न सूचीबद्ध किये गये। श्री रामलाल गुर्जर, श्री हरिसिंह रावत तथा श्री मुरारीलाल मीणा ने अधिकतम 20-20 प्रश्न दिये।

तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 33 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित प्राप्त हुए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 27, शिक्षा विभाग के 24 तथा ऊर्जा विभाग के 24 प्रश्न प्राप्त हुए। वहीं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन तथा यातायात एवं परिवहन विभाग के सर्वाधिक 6-6 प्रश्न, प्रश्न-सूची में सूचीबद्ध हुए। अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक प्रश्न शिक्षा विभाग के 39 प्राप्त हुए हैं। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के 36, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 34 तथा गृह विभाग के 26 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुए। वहीं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के 8 तथा राजस्व और महिला एवं बाल विकास विभाग के 5-5 प्रश्न सूचीबद्ध हुए हैं।

द्वितीय सत्र में यद्यपि प्रश्नकाल नहीं हुआ तथापि 49 सदस्यों से कुल 356 तारांकित तथा/अथवा अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। इनमें से 145 तारांकित प्रश्न तथा 211 अतारांकित प्रश्न थे। प्राप्त प्रश्नों में से 139 तारांकित प्रश्न तथा 191 अतारांकित प्रश्न स्वीकार किये गये। प्रश्नकाल नहीं होने के कारण कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ।

स्थगन प्रस्ताव

समीक्ष्य प्रथम सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा अपनी व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 17 माननीय सदस्यों के 26 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई, इनमें से तीन प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 14 सदस्यों ने 19 प्रस्ताव, माकपा के 2 सदस्यों ने 6 प्रस्ताव तथा भारतीय

राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । दो महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी तीन प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये । श्री पवन कुमार दुग्गल, श्री पेमाराम तथा श्री राजेन्द्र राठौड़ ने सर्वाधिक 3-3 स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य प्रथम सत्र में माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की 35 सूचनाओं को सदन में प्रस्तुत किया गया जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया । प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4, एक-एक माकपा तथा निर्दलीय सदस्य ने सूचना प्रस्तुत की । इन सभी माननीय सदस्यों द्वारा एक-एक सूचनाएँ प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत सूचनाओं में से 7 सूचनाएँ महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं। ये सभी महिला सदस्य भारतीय जनता पार्टी की थीं ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य प्रथम सत्र में पर्ची के माध्यम से 6 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 7 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें से 2 विषयों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई । विषय उठाने वाले सभी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे तथा किसी भी महिला सदस्य ने पर्ची के माध्यम से विषय नहीं उठाया । सदन में उठाये गये विषयों में से भाजपा के श्री राजेन्द्र राठौड़ ने सर्वाधिक 2 विषय उठाये ।

सदन में अव्यवस्था

1. समीक्ष्य प्रथम सत्र में दिनांक 6 जनवरी, 2009 को महामहिम राज्यपाल महोदय के आचरण पर बहस की अनुमति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में सदन में नारेबाजी से घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान हुआ ।
2. दिनांक 7 जनवरी, 2009 को श्री घनश्याम तिवाड़ी द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विचार व्यक्त किये जाने हेतु खड़े होने के दौरान प्रतिपक्ष (भाजपा) के सदस्यों के खड़े होने पर घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान हुआ तथा बैठक 9.1.2009 तक के लिए स्थगित कर दी गई ।
3. दिनांक 9.1.2009 को श्री रामस्वरूप कसाना द्वारा पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन के माध्यम से पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा कथित रूप से पूर्व सरकार के विरुद्ध 22 हजार करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपों की सरकार से जांच कराने की मांग पर प्रतिपक्ष (भाजपा) के अनेक सदस्यों द्वारा नारेबाजी करने से सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन हो गई ।
4. दिनांक 10 जनवरी, 2009 को श्री घनश्याम तिवाड़ी द्वारा कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर की गई आपत्ति को लेकर भाजपा के सदस्यों ने वैल में आकर नारेबाजी की इससे सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान हुआ ।

सदस्यों का बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने द्वितीय सत्र में प्रश्नकाल नहीं रखे जाने तथा जनहित के मुद्दे सदन में उठाने के अवसर उपलब्ध नहीं होने के विरोध स्वरूप दिनांक 26.2.2009 को मुँह पर पट्टी बांध कर सदन में अपने स्थान पर कुछ समय बैठे रहे। तत्पश्चात् भाजपा तथा माकपा सदस्यों ने कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

प्रथम सत्र के दौरान कार्य सलाहकार समिति के दो प्रतिवेदनों का सदन में उपस्थापन किया गया। द्वितीय सत्र के दौरान कार्य सलाहकार समिति का एक प्रतिवदेन दिनांक 25 फरवरी, 2009 को उपस्थापित किया गया जिस पर तीन सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये तत्पश्चात् प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई।

वित्तीय कार्य

(क) अतिरेक मांगों का उपस्थापन

प्रथम सत्र में दिनांक 9 जनवरी, 2009 को उद्योग मंत्री श्री शान्ति कुमार धारीवाल ने वर्ष 2005-2006 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन किया।

द्वितीय सत्र में मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2008-09 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थान किया जिसे सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

(ख) आय-व्ययक अनुमान का उपस्थापन

समीक्ष्य द्वितीय सत्र में दिनांक 26 फरवरी, 2009 को मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 का उपस्थापन किया। श्री गहलोत ने वर्ष 2009-2010 के लिये लेखानुदान (वोट ऑन अकाउण्ट) सम्बन्धी विवरण भी प्रस्तुत किया।

(ग) लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का पारण

द्वितीय सत्र में दिनांक 26 फरवरी, 2009 को मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2009-2010 के लिए लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव सदन के प्रस्तुत किया जिसे सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

विधायी कार्य

(क) वित्तीय समितियों का गठन

प्रथम सत्र में दिनांक 7 जनवरी, 2009 को सरकारी मुख्य सचेतक श्री वीरेन्द्र बेनीवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जिसमें चारों वित्तीय समितियों के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था, पर दिनांक 10 जनवरी, 2009 को प्रस्तुत अन्य प्रस्ताव द्वारा माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त किया गया कि वे इन समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह

को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाये जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, के अनुसार सदस्यों का मनोनयन करें।

(ख) अध्यादेश

प्रथम सत्र में दिनांक 3 जनवरी, 2009 को निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये -

1. जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर अध्यादेश, 2008 (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 4)
2. जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2008 (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 5)
3. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 6)
4. श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल, विश्वविद्यालय, चुड़ेला (झुन्झुनूं) अध्यादेश, 2008 (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 7)
5. मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ अध्यादेश, 2008 (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 8)
6. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 9)
7. राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008 (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 10)
8. बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2008 (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 11)
9. राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) अध्यादेश, 2008 (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 12)
10. महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2008 (वर्ष 2008 का अध्यादेश संख्या 13)

द्वितीय सत्र के दिनांक 25 फरवरी, 2009 को निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखा गया-

1. राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन:प्रवर्तन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या 1)

(ग) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्रों में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
	प्रथम सत्र			
2/2009	राजस्थान नगरपालिका विधेयक, 2009	7.1.2009	-	-
3/2009	बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009	7.1.2009	10.1.2009	10.1.2009

4/2009	महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009	7.1.2009	10.1.2009	10.1.2009
5/2009	मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009	7.1.2009	10.1.2009	10.1.2009
6/2009	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय चुड़ेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009	7.1.2009	10.1.2009	10.1.2009
8/2009	राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009	9.1.2009	10.1.2009	10.1.2009
9/2009	जोधपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2009	9.1.2009	10.1.2009	10.1.2009
10/2009	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2009	9.1.2009	10.1.2009	10.1.2009
	द्वितीय सत्र			
11/2009	राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2009	26.2.2009	26.2.2009	26.2.2009
12/2009	राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-3) विधेयक, 2009	26.2.2009	26.2.2009	26.2.2009
13/2009	राजस्थान नगरपालिका विधियां (निरसन और पुन: प्रवर्तन) विधेयक, 2009	25.2.2009	26.2.2009	26.2.2009

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य सत्रों में सदन में निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

नाम	पद	निधन की तिथि
	प्रथम सत्र	
	[3.1.2009]	
1. श्री वी.पी. सिंह	पूर्व प्रधान मंत्री	27.11.2008
2. श्री छबीलदास मेहता	गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री	29.11.2008
3. श्री तैय्यब हुसैन	पूर्व मंत्री एवं सदस्य 10 एवं 11वीं विधान सभा	7.10.2008
4. श्री शिवराम शर्मा	पूर्व सदस्य, 7 व 8वीं विधान सभा	26.12.2008
5. श्री हरिसिंह यादव	पूर्व मंत्री एवं सदस्य छठी विधान सभा	21.11.2008

6. श्री नन्दलाल बैरवा	पूर्व सदस्य, 4 एवं 5वीं विधान सभा	20.09.2008
7. श्री रामचन्द्र पटेल	पूर्व सदस्य, 5वीं विधान सभा	26.11.2008
8. श्री देवीदत्त गाडिया	पूर्व सदस्य, चौथी विधान सभा	2.10.2008
9. श्री मोतीलाल मेघवाल	पूर्व सदस्य, चौथी विधान सभा	21.12.2008
10. श्री के.के. बिडला	पूर्व सांसद, राज्य सभा	30.08.2008
11. श्री हरिकिशन सिंह सुरजीत	वामपंथी नेता	01.08.2008
12. श्री कन्हैयालाल सेठिया	पद्मश्री प्राप्त राजस्थानी साहित्यकार	11.11.2008
13. श्री कृपाल सिंह शेखावत	पद्मश्री प्राप्त कला मर्मज्ञ	15.2.2008

देश के विभिन्न भागों में हुए हादसों, बम विस्फोटों एवं आतंकी हमलों, हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर हादसा, जोधपुर के चामुण्डा देवी मंदिर में हुआ हादसा, दिल्ली व असम के बम विस्फोट तथा मुम्बई के आतंकी हमलों के मृतक।

[9.1.2009]

14. श्री सुधीर रंजन मजूमदार	पूर्व मुख्यमंत्री, त्रिपुरा	10.1.2009
15. श्री दुर्गालाल बाढ़दार	पूर्व सदस्य, 3 व 4 विधान सभा	9.1.2009

[25.2.2009]

द्वितीय सत्र

1. श्री आर. वैंकटरमन	पूर्व राष्ट्रपति	27.1.2009
2. श्री मदन मोहन	पूर्व सदस्य, 10वीं विधान सभा	5.2.2009
3. श्री ऋषि कुमार मिश्रा	पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ पत्रकार	9.1.2009

✧✧✧